न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 14/2025

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जेताराम पुत्र खीमा चौधरी उडवारिया तहसील रेवदर जिला सिरोही।		जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जो जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा क्रमांक प. 21 (1)() न्याय/ 2022/3083 दिनाक 27.7.2022 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री महिपालसिंह देवडा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 23 सितम्बर, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प. 21(1)()न्याय/ 2022/3083 दिनाक 27.7.2002 के द्वारा अपीलान्ट नवीन शस्त्र पिस्टल/ रिवाल्वर हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 31.05.2021 को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.10.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 में यह कथन किया है कि जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा दिनांक 26.7.2022 को प्रस्तुत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया जिस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि अपीलान्ट को दिनांक 9.9.2002 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात न्यायालय परिसर में दशहरा व नवरात्रि का अवकाश होने की वजह से एवं अपीलार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से अपील हेतु निर्धारित समयावधि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में वह अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील देरी से प्रस्तुत करने का सद्भाविक कारण होने से क्षम्य किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें। प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलान्ट की ओर से अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 में अंकित तथ्यों के आधार पर न्यायाहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 31.05.2021 को अस्वीकार करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 पारित किया गया है, वो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने एक आवेदन दिनांक 31.05.2021 को जिला कलक्टर कार्यालय के समक्ष उत्तराधिकार से सम्बन्धित प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि स्वयं की सुरक्षा हेतु उन्हें हथियार की आवश्यकता है अतः इस हेतु एनपीबोर पिस्टल रिलाल्वर क्रय करने की अनुज्ञा पत्र जारी करावें क्योंकि प्रार्थी सिरोही का निवासी है तथा उसे कृषि कार्य हेतु अपने खेत में जाना पडता है जो आदिवासी क्षेत्र में आता है और लूटपाट व जान का खतरा सदैव बना रहता है। अपीलार्थी को सदैव पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सके, यह संभव नहीं है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में जंगली जानवरो से स्वयं की सुरक्षा हेतु अपीलान्ट को शस्त्र रखने की आवश्यकता रहती है, दर्शाया था परन्तु इन तथ्यों पर गौर न करके अपीलान्ट के उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और उक्त तथ्यों से असंतुष्ट होने पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आदि अपीलार्थी से नहीं चाहा गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधि के सुस्थापित प्रावधानों के विरूद्ध यह आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के उक्त आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना अनादरा के रिकार्ड के अनुसार उडवारिया के ग्राम पंचायत का सरपंच है तथा व्यापार करते है, जॉच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को नवीन शस्त्र का अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की जाती है। अतः आदेश हो तो प्रार्थना पत्र संचित किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया जावें। इस प्रकार ऐसा आदेश प्रार्थी के हित में न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त अपीलाधीन आदेश में प्रार्थी के आवेदन को उचित वजह नहीं बताते निरस्त किया गया है जो कि स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना रिकार्ड देखे व उन पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसको अपास्त कर अपीलान्ट के नाम से लाईसेन्स जारी करने का आदेश प्रदान करे।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलान्ट को शस्त्र चलाने का अनुभव है और उस पर पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है न ही अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिससे किसी को जानमाल की हानि नहीं होगी। अपीलान्ट को शस्त्र चलाने का अनुभव है एवं विधि के शासन में प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका प्राप्त करने व स्वयं की सुरक्षा तथा अपनी सम्पति की सुरक्षा करने का अधिकार है, कोई घटना घटित होने से पूर्व वह जो निश्चित नहीं है, उससे अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हुए जीवन जीने का अधिकार है और इसी धारणा के तहत अपीलान्ट ने अपने कृषि कार्य हेतु जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उक्त रिवाल्वर एनपीबोर के शस्त्र के अनुज्ञा पत्र जारी हेतु आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही को जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को एनपीबोर पिस्टल जारी करने बाबत अनापति जाहिर की गई है तथा वर्णित किया गया था कि यदि अपीलार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पूछताछ का संतोषप्रद जवाब दिया गया था तथा अपीलार्थी के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं है फिर भी इसके बारे में कोई स्पीकिंग आदेश पारित नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2022 को निरस्त किया जाये।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस संदर्भ में जारी परिपत्रों व नियमों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जबकि सभी प्रकार की जॉच रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में होते हुए भी उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का कोई आधार नहीं था, फिर भी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21(1)() न्याय/ 2022/3083 दिनाक 27.7.2002 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावे। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील के समर्थन में न्यायालय हाजा के द्वारा अन्य आर्म्स अपील संख्या 12/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2016 एवं न्यायिक दृष्टान्त क्रिमिनल रिट पीटिशन संख्या 485/2023, रिट पीटिशन संख्या 6022/2022 एवं अन्य दस्तावेजात अवलोकनार्थ पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

7. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को नवीन शस्त्र हेतु अनुज्ञापत्र प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.05.2021 की सम्बन्धित अधिकारियों से जॉच कराई जाने तथा अपीलान्ट के व्यापार के दौरान किसी अज्ञात से खतरा नहीं होना पाये जाने व न ही उनके द्वारा उनको किसी से खतरा होने को लेकर पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने के आधार पर, उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2022 को पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, सिरोही के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने आवेदन में यह तथ्य अंकित करते हुए आवेदन किया था कि अपीलान्ट को स्वयं की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता है। इस हेतु एनपीबोर पिस्टल रिलाल्वर क्रय करने का अनुज्ञा पत्र जारी करावें क्योंकि प्रार्थी सिरोही का निवासी है तथा उसे कृषि कार्य हेतु अपने खेत में जाना पडता है जो आदिवासी क्षेत्र में आता है और लूटपाट व जान का खतरा सदैव बना रहता है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

9. जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के उक्त आवेदन दिनांक 31.05.2021 के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट के व्यापार करने के दौरान किसी अज्ञात से खतरा नहीं होना पाये जाने व न ही उनको किसी अन्य से खतरा होने को लेकर थाना में लिखित रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 के आधार पर उनके आवेदन को निरस्त किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपनी प्रस्तुत अपील के संलग्न भी ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये है, जिनसे ऐसा आभास होता हो कि उन पर पूर्ववर्ती समय में किसी प्रकार का अज्ञात हमला/ लूटपाट अथवा छीनाझपटी इत्यादि हुई हो और उनकी ओर से पुलिस थाने में इस सम्बन्ध में जानमाल की हानि होने का मामला दर्ज करवाया गया हो, या भविष्य में किसी व्यक्ति विशेष से खतरा होता हो, मात्र व्यापार किये जाने की दृष्टि से तथा स्वयं की सुरक्षा हेतु शस्त्र रखे जाने की अनुमति प्रदान किया जाना आयुध अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को अस्वीकार करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2022 पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से उचित एवं विधि के अनुकूल पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर